

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय-व्ययक अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या: जी-310/आई0बी0/308बी0-22ए/अनु0-94/पूँजीलेखा, लखनऊ दिनांक: 21 जून 2018
कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजी लेखा के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के विभिन्न निरीक्षण भवनों का पुनरोद्धार एवं विस्तार के अन्तर्गत रु0 500.00 लाख का बजट प्रावधान है, के अन्तर्गत शासनादेश सं0- 77/2018/1836/18-27-सि0-9-06भवन/18, दिनांक 13.06.2018 द्वारा "जूनियर इंजीनियर ब्वाटर अन्य कार्य लालगंज की मरम्मत की परियोजना" की द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रु0 10.99 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुई है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के कम में मुख्य अभियन्ता (शारदा) बरेली को उनके सम्मुख अंकित धनराशि व्यय किये जाने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है-

आकड़े लाख रुपये में

लेखाशीर्षक/उपशीर्षक/मद	मुख्य अभियन्ता-का नाम	प्रदिष्टि धनराशि
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 85-सिंचाई विभाग के विभिन्न निरीक्षण भवनों के पुनरोद्धार एवं विस्तार (वाणिज्यिक) 051-निर्माण 09-भवन 0906-पुनर्स्थापना 24-वृहत्त निर्माण कार्य	(शारदा) बरेली।	10.99

(रुपया दस लाख निम्नानुबे हजार मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापों एवं उपरोक्त शासनादेश में क्रमांक- 01 से 11 तक दिये नियमों/शर्तों के अधीन किया जाता है।

भूपेन्द्र शर्मा
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या: जी-310 (1)/आई0बी0/तददिनांक:- 21/06/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- विशेष सचिव, सिंचाई अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (रुहेलखण्ड) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, बरेली को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 6- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण)/ (सूचना प्रणाली संगठन) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (शारदा) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, बरेली को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 9- वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 10- अधिशासी अभियन्ता (बजट) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 11- प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 12- कट फाईल।

हिमन्त कुमार गुप्ता

मुख्य अभियन्ता (बजट)

सिंचाई विभाग।

21/06/2018